



हिन्द इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इ.) लिमिटेड

ग्राम : धतुरा
तहसील : पाली
जिला : कोरबा (छ.ग.)

dh

पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट
का कार्यपालक सारांश

&% çf"kr %&
NRrhl x<+ i ; kbj .k l j {k.k e.My
jk; i j ¼Nñxñ½

1- ँLrkouk%

हिंद इनर्जी एण्ड कोल बेनीफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ग्राम: धतुरा, तहसील: पाली, जिला: कोरबा (छ.ग.) में 0.96 मि.टन/वर्ष क्षमता वाली वैट टाइप की कोल वॉशरी का लगाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र हेतु 15.12 एकड़ भूमि उद्योग प्रबंधन द्वारा क्रय की गई है। प्रस्तावित संयंत्र की अनुमानित लागत रू 15.0 करोड़ है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अनुसार अनुमोदित, दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं आगामी संशोधन, कोल वाशरी 1.0 मि.टन./वर्ष से कम 'B' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। छ.ग. प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा सहमति 'टर्मस् ऑफ रिफरेंसेस्' (टी.ओ.आर.) को प्रस्तावित परियोजना के लिए जिसका पत्र क्र. 1424/एस. ई.ए.सी-सी.जी./ई.सी./कोल/कोरबा/516, दिनांक: 25.03.2017 है। यह EIA रिपोर्ट छ.ग. प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित TOR को समावेशित कर बनाया गया है।

प्रस्तावित संयंत्र द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु नाबेट, क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया प्रमाण पत्र संख्या नाबेट/ ई.आई.ए./ 1619/ आर.ए. 026, द्वारा अधिकृत मे. पायोनियर इन्वायरो लैबोरेटरिस् एवं कन्सल्टेंट्स प्रा. लि., हैदराबाद, द्वारा छ.ग. प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञ समिति, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित 'टर्मस् ऑफ रिफरेंसेस्' (टी.ओ.आर.) को समाविष्ट करते हुए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

, ï प्रस्तावित संयंत्र स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र के पर्यावरणीय कारक जैसे जल, वायु, भूमि, ध्वनि, वनस्पति, जीव, एवं सामाजिक स्तर आदि विशिष्ट गुणों का वर्तमान परिदृश्य।

चिं प्रस्तावित परियोजना से होने वाले वायु उत्सर्जन, दूषित जल उत्सर्जन, ठोस अवशिष्ट एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर का आकलन।

। हिं प्रस्तावित परियोजना से होने वाले उत्सर्जन की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा हरित पट्टिका विकास का समावेश करते हुये पर्यावरण प्रबंधन के उपाय (ई.एम.पी.)।

महिं परियोजना उपरांत पर्यावरणीय अनुविक्षण कार्यक्रम।

1-1 दPps eky dh ek=k % &

प्रस्तावित परियोजना के लिये लगने वाले कच्चे माल की मात्रा निम्नलिखित है :

Øi	dPpk eky	okf"kd vko' ; drk	L=kr
1.	कच्चा कोयला	0.96 मिलियन टन प्रति वर्ष	मुख्यतः एस.ई.सी.एल., खदान अर्थात् छाल/ कुसमुण्डा/ दिपका/ गोवरा एवं अन्य खदानों द्वारा %Mhivka vk/kkfj r½

1-2 mRi knu i) fr % &

इस इकाई में खदान से प्राप्त कोयले को तोड़कर, छानकर तथा धोकर 34% से कम राखड़ वाला कोयला प्राप्त किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना में एक सिक्त प्रकार (वैट टाइप) की कोल वॉशरी का लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण शुष्क प्रकार की वाशरी कि अपेक्षा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कम रहेगी। परियोजना में क्लोज्ड लूप वाटर सिस्टम लगाया जाएगा जिसके कारण दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा तथा शून्य निस्तारण संकल्प का परिपालन सुनिश्चित होगा।

प्रस्तावित परियोजना में आर.ओ.एम. कोल को एक दंतीय रोल क्रशर से तोड़कर पानी एवं हवा की मदद से जिग में साफ किया जाएगा। जिसके कारण धुला हुआ कोयला, मिड्लिंग्स तथा रिजैक्ट्स प्राप्त होंगे।

1-3 ty fd vko' ; drk % &

प्रस्तावित परियोजना के लिए अनुमानित जल की खपत 210 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जिसमें कोल वॉशरी में उपयोग होने वाले औद्योगिक मेकअप एवं घरेलु जल की आपूर्ति संलग्न है। अनुमानित जल की पूर्ति भू-जल स्रोत से किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमति केन्द्रीय भू-जल प्राधीकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 21-4 (123)/ एन.सी.सी.आर./ सी.जी.डब्ल्यू.ए./ 2011-2014 दिनांक: 21/09/2016 प्राप्त किया गया है। श्रेणीवार जल खपत का विवरण निम्न प्रकार है:-

Øekd	fooj .k	Ekk=k ?ku ehVj çfrfnu½
1.	कोल वॉशरी हेतु मेकअप वॉटर कि मात्रा	200
2.	घरेलू	10
dy		210

1-4 nf"kr ty mRl tL %

प्रस्तावित संयंत्र में क्लोज्ड लूप सफ़्ट का लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। शून्य निस्तारण संकल्प का परिपालन सुनिश्चित किया जावेगा। परियोजना से उत्पन्न निस्त्राव में केवल घरेलु दूषित जल का समावेश होगा जिसकी कुल मात्रा प्रस्तावित परियोजना द्वारा अपेक्षित 4 घन मीटर प्रतिदिन होगी।

विवरण	मात्रा
घरेलू	4.0 घन मीटर प्रतिदिन
dy	4.0 ?ku ehVj çfrfnu

1-5 nf"kr ty dh xqORrk%

अनुमानित निस्त्राव के गुणात्मक विश्लेषण का सारांश निम्नलिखित टेबल में प्रदर्शित है:

xq k	I kaerk
पी.एच.	7.0 – 8.5
बी.ओ.डी.	200 – 250 मि.ग्रा./ली.
सी.ओ.डी.	300 – 400 मि.ग्रा./ली.
टी. डी.एस.	800 – 900 मि.ग्रा./ली.

2-0 i ; kbj .k dk foof .k%

प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या में सभी पर्यावरण कारकों जैसे परवेशीय वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, ध्वनी स्तर, पेड़-पौधे, जीव-जन्तु एवं समाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर बेस लाइन डाटा बनाया गया।

2-1 i fj os kh; ok; q xq koRrk

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर एक मौसमीय (3 महीने तक) 8 स्टेशनों पर पी.एम_{2.5}, पी.एम₁₀, एस.ओ₂, एन.ओ_x एवं सी.ओ. हेतु परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया। परवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के दौरान इन कारकों का मान इस प्रकार है:

Øekad	foof .k		I kaerk
1.	पी.एम _{2.5}	:	16.4 से 38.6 माइक्रोग्राम/घन मीटर
2.	पी.एम ₁₀	:	25.9 से 57.1 माइक्रोग्राम/घन मीटर
3.	एस.ओ ₂	:	7.8 से 18.5 माइक्रोग्राम/घन मीटर
4.	एन.ओ _x	:	8.6 से 20.1 माइक्रोग्राम/घन मीटर
5.	सी.ओ.	:	310 से 630 माइक्रोग्राम/घन मीटर

2-2 ty xq koRrk

8 अलग अलग जगहों पर भूजल एवं अन्य सतही जल स्रोतों के नमूने लिए गए जिसके सारे भौतिक एवं रासायनिक गुणों का विश्लेषण किया गया। सभी नमूने आई.एस.: 10500 तथा आई.एस.: 2296 के मानदण्डों के अनुरूप पाए गये हैं।

2-3 /ofu Lrj

8 अलग अलग जगहों पर रात एवं दिन में ध्वनि स्तर का मापन किया गया। जिसका ध्वनि स्तर 45.4 डी.बी.(ए.) से 58.4 डी.बी.(ए.) पाया गया है।

3-0 i ; kbj .kh; çHkkoka dk i wkzkdyyu rFkk jkdFkke%

3-1 ok; q xq koRRkk ij çHkkoka dk i wkzkdyyu%

प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित गैसेस् में मुख्यतः पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.₁₀), सल्फर डाय ऑक्साइड एवं ऑक्साईड्स् ऑफ नाइट्रोजन पाये जाते हैं। इण्डस्ट्रियल सोर्स कॉम्प्लैक्स मॉडल (आई.एस.सी.-3) का उपयोग, भूस्तर सांद्रता ज्ञात करने में किया गया। मिटियोरोलॉजिकल डाटा जैसे तापमान, हवा के बहने की गति एवं दिशा एवं अन्य मिटियोरोलॉजिकल पैरामिटर्स भी इकट्ठा किए गए जिनका उपयोग मॉडल से परिणाम ज्ञात करने में किया गया।

संगणित परिणामों से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत भूस्तर पर इन कारकों पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.₁₀) की सांद्रता (24 घण्टे) में अधिकतम वृद्धि 0.05 माइक्रोग्राम/घन मीटर क्रमशः हवा बहने की दिशा में प्रस्तावित स्थल से 480 मीटर पर पाई जावेगी।

वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए पी.एम.₁₀ की सांद्रता में अधिकतम 0.36 माइक्रोग्राम/घन मीटर वृद्धि होने की संभावना है।

अतः कोल वाशरी द्वारा एवं वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन के कारण वतावरण में पी.एम.₁₀ की सांद्रता में 0.05 माइक्रोग्राम/घन मीटर + 0.36 माइक्रोग्राम/घन मीटर = 0.41 माइक्रोग्राम/घन अधिकतम वृद्धि की संभावना है।

एन.ओ._x में वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 3.21 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

वाहनों द्वारा उत्सर्जित सी.ओ. की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 1.97 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

Table 3-2: Comparison of ambient air quality standards for SO₂, NO₂, CO, and PM₁₀ in the project area.

Parameter	PM ₁₀ (-g/m ³)	SO ₂ (-g/m ³)	NO ₂ (-g/m ³)	CO (-g/m ³)
Ambient air quality standards in the project area	57.1	18.5	20.1	630
Ambient air quality standards in the project area during the construction phase	0.41 (0.05 +0.36)	—	3.21	1.97
Permissible limit for SO ₂ , NO ₂ , CO, and PM ₁₀ in the project area	60-76	19-9	34-7	928
Permissible limit for SO ₂ , NO ₂ , CO, and PM ₁₀ in the project area	100	80	80	2000

As per the comparison, the ambient air quality standards for SO₂, NO₂, CO, and PM₁₀ in the project area are within the permissible limits. The ambient air quality standards for SO₂, NO₂, CO, and PM₁₀ in the project area are within the permissible limits. The ambient air quality standards for SO₂, NO₂, CO, and PM₁₀ in the project area are within the permissible limits.

3-2 Noise and Vibration

The project area is located in a residential area. The ambient noise level in the project area is within the permissible limits. The ambient noise level in the project area is within the permissible limits. The ambient noise level in the project area is within the permissible limits.

3-3 Air Quality

The project area is located in a residential area. The ambient air quality in the project area is within the permissible limits. The ambient air quality in the project area is within the permissible limits. The ambient air quality in the project area is within the permissible limits.

प्राधीकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 21-4 (123)/ एन.सी.सी.आर./ सी.जी.डब्ल्यू.ए./ 2011-2014 दिनांक: 21/09/2016 प्राप्त किया गया है। अतः इससे परियोजना क्षेत्र के जल पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा।

3-4 Hk&i ; kbj .k ij çHkko%&

प्रस्तावित परियोजना में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि की सही-सही स्थापना एवं संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जावेगा। ठोस अपशिष्टों का निपटान/ उपयोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुसार किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र स्थल लगभग 5.0 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। अतः प्रस्तावित परियोजना से भू-पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3-5 I kekftd& vkffkd çHkko%&

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण एवं संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अनेक अवसर बनेंगे। जिसके कारण सामाजिक-आर्थिक स्थित पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। साथ ही गाँवों में नियमित स्वास्थ्य जाँच प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित संयंत्र के लगने से भविष्य में क्षेत्र का विकास होगा।

4-0 i ; kbj .k vuph{k.k dk; Øe%

परियोजना-उपरांत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार अनुवीक्षण कार्यक्रम का अनुपालन प्रस्तवति है, जो कि निम्न प्रकार है:

i ; kbj .kh; i §kehVj ds fy, fuxjkuh dk; Øe

Øekd	fooj .k	vuph{k.k vkofyk	ueus yus fd vof/k	i §kehVj
1 ty rFkk fuL=ko fd xq koRrk				
	ty xq oRrk	मासिक	ग्रॅब नमूने	आई एस : 10500
2 ok; q xq oRrk				
a.	स्टैक	ऑन-लाइन मासिक		पी.एम.
b.	परवेशीय वायु गुणवत्ता	सप्ताह में दो बार	24 घण्टे लगातार	पी.एम ₁₀ , पी.एम _{2.5} , एस.ओ ₂ , एन.ओ. ग
c.	फ्युजिटिव उत्सर्जन	मासिक	8 घण्टे में एकबार	पी.एम.
3 e ⁹ fe; dkjd				
d.	मौसमिय डाटा	दैनिक	लगातार	तापमान, आद्रता, वर्षा, वायु की गति एवं दिशा
4 'kkj eki u				
e.	शोर मापन	मासिक	माह में एकबार (घण्टे के आधार पर)	परवेशीय शोर मापन (in dBA)

5-0 vll; v/; ; u%

परियोजना द्वारा किसी भी प्रकार का पुर्नवास अथवा पुर्नस्थापन नहीं होगा, अतः पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना अध्ययन नहीं किया गया है।

6-0 i fj; "tuk ds ykHk %

प्रस्तावित परियोजना के कारण नए रोजगार के अवसर बनेंगे, साथ ही स्थानीय परिसम्पत्तियों का मूल्य बढ़ेगा जिसके कारण आसपास के निवासियों को लाभ होगा। सामयिक स्वास्थ्य जाँच किया जावेगा एवं प्रस्तावित संयंत्र में कर्मचारियों के नियोजन हेतु स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जावेगी।

7-0 i ; kbj .k çca/ku ds mi k; %

7-1 ok; q i ; kbj .k%

वायु प्रदूषण कि रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये जाना प्रस्तावितत है।

Øekad	bdkbz	Okk; q çnWk.k fu; æak mi Ldj	i hn, en mRl tL
1.	कोल क्रशर	बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैशन सिस्टम	< 50 मिलिग्राम/घन मी.

डस्ट उत्सर्जन के मुख्य स्रोत कोयले की अनलोडिंग, क्रशिंग एवं स्थानांतरण बिंदू होंगे। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के मुख्य स्रोत कोयले की अनलोडिंग, स्थानांतरण बिंदू एवं स्क्रीनिंग क्षेत्र इत्यादि होंगे। कोयले की अनलोडिंग के कारण फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु डस्ट सप्रेसन सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है। कोयले की अनलोडिंग, स्थानांतरण बिंदुओं को पूर्णतः ढंका जाना तथा इन सभी निर्वहन बिंदुओं को बैग फिल्टर युक्त डी-डस्टिंग प्रणाली से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र क्षेत्र में होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का मापन कार्य किया जावेगा तथा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम एवं मापन हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों का पालन किया जावेगा।

7-2 ty i ; kbj .k%

प्रस्तावित कोल वॉशरी में क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम का परिपालन किया जावेगा जिससे कुछ भी औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित कोल वॉशरी से 4.0 घन मीटर प्रति दिन घरेलू निस्त्राव के रूप में दूषित जल उत्सर्जन होगा। जिसके उपचार हेतु हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट्स बनाए जावेंगे। प्रस्तावित कोल वॉशरी में शून्य बहिस्त्राव कि संकल्पना का परिपालन किया जावेगा।

7-3 /ofu i ; kbj .k %

प्रस्तावित परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत डी.जी. सैट एवं कोल क्रशर इत्यादि होंगे। सभी उपकरणों का निर्माण केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्वनि उत्सर्जन हेतु मानदण्डों के अनुरूप किया जावेगा। तदंतर सघन वृक्षारोपण ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम

करने में प्रभावकारी होगा। प्रशासनिक भवन के आसपास ध्वनि अवरोधो के रूप में वृक्षारोपण कि अनुशंसा की जाती है।

7-4 Hkw i ; kbj .k %

प्रस्तावित कोल वॉशरी में क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम का परिपालन किया जावेगा जिससे कुछ भी औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि का सही-सही स्थापना एवं संचालन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जाने का प्रस्ताव है। वॉशरी मिड्लिंग एवं रिजैक्ट्स को विद्युत उत्पादन इकाईयों को दिया जाना प्रस्तावित है। इकाई में सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समुचित सौंदर्यकरण एवं लैंडस्केपिंग पद्धति को अपनाया जावेगा। अतः प्रस्तावित संयंत्र से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Bkd vif'k"Vka dk mRi knu , oa vi ogu 0; oLFkk %

Øñ	Bkd vif'k"Vka dk çdkj	Ekk=k	vi ogu 0; oLFkk
1.	वॉशरी मिड्लिंग एवं रिजैक्ट्स	0.192 मि.टन/वर्ष	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनिरल्स लिमिटेड को दिया जावेगा।

7-5 xhu cV %

प्रस्तावित परिसर में लगभग 5.0 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुमानित पूँजी लागत रू 1.0 करोड़ है।

7-6 ØS fl Qkfj' kka dk fØ; kuo; u %

प्रस्तावित कोल वॉशरी में सभी प्रकार क्रैप सिफारिशों का सख्ती से क्रियान्वयन प्रस्तावित है।
